प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक-1480/2021

[आदेश सुरक्षित करने का दिनाँक-16.04.2024]

[आदेश पारित करने का दिनाँक -23.04.2024]

1. दिनेश कुमार यादव, आत्मज श्री बदलू राम यादव, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी- श्री हरि निवास एफ.सी.आई.गोबरानवापारा, तहसील अभनपुर, थाना गोबरानवापारा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

2. अनिल कुमार झा, आत्मज श्री सूर्यकांत झा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी -क्वार्टर नंबर-1433, इंद्र चौक, रावणभाटा, मंदिर हसौद, तहसील आरंग, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्रीनिवास द्विवेदी, आत्मज स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद द्विवेदी, उम्र लगभग 40 वर्ष, आवास संख्या 359 (डब्ल्यू), वार्ड क्र.11, गंजपारा, बेमेतरा, तहसील थाना एवं जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

4. अतीक अजीम, आत्मज स्वर्गीय श्री अजीम खान, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर-46,आरडीए कॉलोनी, टिकरापारा, रायपुर, थाना टिकरापारा,तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. मनोज कुमार कश्यप, आत्मज श्री प्रताप कश्यप,उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गाँव विचारपुर(कापा), पोस्ट राजपुर, तहसील एवं थाना तख्तपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

6. विरेन्द्र कुमार वर्मा,पिता श्री चाबीराम वर्मा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी शितला मंदिर, हथनीपारा वार्ड, भाटपारा, तहसील एवं थाना भाटपारा, जिला बालोदाबाजार-भाटपारा, छत्तीसगढ़ ।

......याचिकाकर्तागण

बनाम

रिट याचिका (एस) क्रमांक-1480/2021

1. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, थाना एवं पोस्ट राखी, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, थाना एवं पोस्ट राखी, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. निदेशक, निदेशक कार्यालय, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन,थाना एवं पोस्ट राखी, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

...... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता की ओर से- श्री अभिषेक पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से- श्री अरविंद दुबे, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

युगल पीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

सी.ए.वी आदेश

संजय के.अग्रवाल, न्यायाधीश

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के रिट अधिकारिता का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता ने यहां संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/अभियांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवाओं, भर्ती एवं सेवा की शर्तो नियम 2017 की शर्तों के अनुसूचित-4 के नियम 14 एवं 15 के तहत अधिनियमित संख्या 9 सेवा की शर्तो नियम 2017 (अब से इसे 2017 के नियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दिया गया है जिसके द्वारा स्वच्छता निरीक्षक के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के पदोन्नति पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 12 साल का अनुभव निर्धारित किया गया है, जिसे मनमाना, अनुचित एवं

असंवैधानिक बताया गया है एवं इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं असंवैधानिक घोषित करने के लिए एक रिट जारी करने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को 22.10.1997 को स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था एवं याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 6 को भी वर्ष 2013 में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था एवं कहा गया है कि वे सभी अपनी नियुक्ति के बाद से उक्त पद पर काम कर रहे हैं।याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि स्वच्छता निरीक्षक के पद से स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए 2017 के नियमों की अनुसूची-IV में अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए स्वच्छता निरीक्षक के पद पर 12 साल का अनुभव निर्धारित किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के के सम्बन्ध में प्रावधानों के लिए असंवैधानिक है।याचिकाकर्ताओं की आगे की शिकायत यह है कि स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के बाद, स्वच्छता निरीक्षक के लिए आगे पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं एवं इसलिए 2017 के नियमों में स्वच्छता निरीक्षण के पद से मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए संवर्ग परिवर्तन के माध्यम से उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिका/निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के केवल छह पद उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ताओं का आगे मामला यह है कि राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-I एवं II, जिनका वेतनमान कम है एवं कम अनुभव है, उन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी के उच्च पद पर पदोन्नत किया जा रहा है, जबकि स्वच्छता निरीक्षकों के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान रिट याचिका(एस) क्रमांक-3793/2018 "पुष्प खलखो एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य "में

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पारित आदेश दिनांक 11.2.2019 की ओर भी आकर्षित किया जिसके तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के पद पर राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के संबंध में 2017 के नियमों की अनुसूची-**IV** को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसे अधिकारातीत घोषित करते हुए रद्द कर दिया। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 2017 के नियमों को अधिकार से बाहर एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करने का अनुरोध किया एवं राजस्व निरीक्षकों के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर स्वच्छता निरीक्षक की पदोन्नति के लिए 2017 के नियमों की अनुसूची-**IV** में संशोधन के माध्यम से नए नियम बनाने का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरदाताओं/राज्यों ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता क्रमांक-1 को उपयुक्त नहीं पाया गया था, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकी, लेकिन उन्हें समय-समय पर समयमान वेतनमान एवं उनकी पात्रता के अनुसार आगे की वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया है। इसी तरह, उत्तरदाता संख्या 2 से 6 भी पात्र नहीं पाए गए क्योंकि वे स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के लिए स्वच्छता निरीक्षक के पद पर आवश्यक न्यूनतम 12 साल की सेवा अवधि को पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा माँगा गया अनुतोष भी बिना किसी आधार के है क्योंकि सेवा नियमों में स्वच्छता निरीक्षक से स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रणाली के लिए निर्धारित किया गया है एवं यह अनुपात के अनुसार एवं राज्य में नगरपालिका/निगम की आवश्यकताओं एवं आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकता उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन के अधीन है। स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपे गए कार्य राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-**I** एवं **II** एवं मुख्य नगर पालिक अधिकारी को सौंपे गए कार्य से पूरी तरह से अलग हैं। इस प्रकार, 2017 के नियमों की अनुसूची-**IV** में

निर्धारित मानदंड न तो मनमाने हैं एवं न ही भेदभावपूर्ण हैं एवं पूर्णरूप से कानून के अनुसार हैं एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती अस्वीकार किये जाने योग्य है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक पांडे तर्क किया हैं कि स्वच्छता निरीक्षक के पद से स्वास्थ्य अधिकारी के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित न्यूनतम 12 साल की सेवा अवधि, जो याचिकाकर्ताओं के पास है, अत्यधिक असंगत है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सभी नगर पालिका/निगमों में स्वास्थ्य अधिकारी के केवल 6 पद उपलब्ध हैं एवं पदोन्नति के अवसर उचित और युक्तियुक्त नहीं हैं एवं इसलिए,2017 के नियमों की अनुसूची **IV** की संख्या 9 में उल्लेखित स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर स्वच्छता निरीक्षक की पदोन्नति के लिये अधिकारातीत एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किये जाने योग्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. श्री अरविंद दुबे, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, इसके विपरीत, रिट याचिका का विरोध करते हुए, तर्क किया कि योग्यता का निर्धारण उचित नियमों को लागू करके नियोक्ता के अनन्य क्षेत्र के भीतर है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 जवाब प्रस्तुत करते समय भी उपर्युक्त नहीं पाया गया था एवं याचिकाकर्ता क्रमांक-2 से 6 को स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया क्योंकि वे स्वच्छता निरीक्षक के रूप में 12 साल की न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण नहीं करते हैं, जिसे स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाना आवश्यक है एवं उन्हें उक्त अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक मानदंडों को पूरा करने पर विचार किया जाएगा। इसलिए विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना किया कि वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं है एवं तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है एवं मामले के अभिलेख को भी अत्यंत सावधानी के साथ देखा है।

अधिनियमों/नियमों के संवैधानिक वैधता की जांच के लिए सिद्धांतः

7. "अमान्य से मान्य करना अच्छा है" में अभिव्यक्त सिद्धांत के आधार पर कानून का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि इसे प्रभावी और प्रवर्तनशील बनाया जा सके" अतः यह उपधारणा कि विधानमंडल अपनी अधिकारिता से बाहर नहीं है, एवं यह स्थापित करने का भार कि अधिनियम विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं है, या कि इसने अन्य संवैधानिक जनादेशों, जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, का उल्लंघन किया है, हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है। [देखिएः कानून का निर्वचन का सिद्धांत द्वारा- न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 592]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित क़ानून को बिना विचार विमर्श के असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान खड़े नहीं हो सकते।

9. शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) सचिव एवं अन्य)[1] के मामले **में** उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि कानून को रद्द किया जा सकता है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमानापन है एवं स्पष्ट मनमानेपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि को नकारने का आधार है। माननीय न्यायाधीशों ने निम्न अवलोकन किया-

> "101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ***इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ***[2] उनके द्वारा कहा गया कि यह सुस्थापित कानून था कि अधीनस्थ

1 (2017)9 SCC 1

2 (1985)1 SCC 641 : 1985 SCC (TAX) 121

विधायन को पूर्ण विधायन के खिलाफ चुनौती देने के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है।इस मामले में, जब अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार की बात आती है तो दो प्रकार के कानूनों के बीच कोई तर्कसंगत भेद नहीं है। इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है,स्पष्ट मनमानेपन का परीक्षण अनुच्छेद 14 के तहत अमान्य विधि के साथ-साथ अधीनस्थ विधि पर भी लागू होगा। इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन विधायिका द्वारा मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक असमान है, तो ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा।इसलिए, हमारा विचारहै कि स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, अनुच्छेद 14 के तहत अस्वीकार करने वाले विधान पर भी लागू होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हाल ही में, **डॉ.जया ठाकुर बनाम.भारत संघ एवं अन्य**[3], के मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है और निम्नानुसार अवलोकित किया -

"68. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के उपरोक्त दो अंग अर्थात विधानमंडल एवं कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है । इस न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या विधानमंडल या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों एवं कार्यों के भीतर काम किया है। हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को अपनी स्व-अधिरोपित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।"

3 2023 SCC Online SC 813

11. उसके बाद **जया ठाकुर (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियो ने **बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ**[4] के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा जताया हैं। अपने पूर्व के निर्णय का पुनर्विलोकन करते हुए न्यायाधीश जे. बी. आर. गवई के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि को बिना विचार विमर्श के असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, एवं निम्नानुसार अवलोकित किया हैः-

> "70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित क़ानून को बिना विचार विमर्श के असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।ऐसा करने के लिए, न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान टिक नहीं सकता। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन नहीं होता, तब तक संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
>
> 71. इस न्यायालय का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है।पहला, कि उपयुक्त विधायिका के पास विधि बनाने की क्षमता नहीं है; एवं दूसरा, यह कि यह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर करता हो। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले किसी न किसी संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना पड़ता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद एवं विधानमंडल, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें लोगों की जरूरतों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में पता होना चाहिए । न्यायालय उनकी बुद्धिमता पर निर्णय नही दे सकती।

4 (2017)7 SCC 59

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

72. इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विधानमंडल के किसी अधिनियम या अधिनियम के किसी प्रावधान को अमान्य घोषित करने के लिए केवल एक ही आधार है, वह यह है कि यदि यह स्पष्ट रूप से संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता है - यह एक ऐसा तरीका है जिससे कोई संदेह न रहे।यह भी माना गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, तो एक क़ानून को संवैधानिक बनाता है एवं दूसरा इसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले वाले विचार को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को किसी विधि की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए एक सीमित विरचन देने या इसके दायरे को कम करने की आवश्यकता हो।

73. यह लगातार माना जाता रहा है कि संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक उपधारणा होती है, एवं किसी कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला इतना स्पष्ट न हो कि वह संदेह से मुक्त हो। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पारित किया गया कानून किसी विधायिका को प्रदत्त शक्ति के दायरे में है एवं उस शक्ति के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है,तो कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए जो भी न्यायालय इसके बारे में सोचे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

74. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायी अधिनियम के लिए चुनौती केवल तभी स्थायी होगी जब यह स्थापित हो जाए कि संबंधित विधायिका के पास उस विषय पर अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी जिसे उसने अधिनियमित किया है। दूसरा आधार जिसके आधार पर वैधता को चुनौती दी जा सकती है, वह यह है कि ऐसा अधिनियम संविधान के भाग III या संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। एक अन्य आधार जिसे इस न्यायालय के हाल के फैसलों से निकाला जा सकता है, वह यह है कि विधायी अधिनियम की वैधता को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यद्यपि, ऐसा करते समय, यह याद रखना होगा कि उपधारणा एक विधायी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है।"

12. इसके अलावा, **भारतीय दंत चिकित्सा परिषद बनाम बियानी शिक्षण समिति एवं अन्य**[5],के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अधीनस्थ विधि की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में हमेशा एक उपधारणा होती है एवं भार उस पर होता है जो जिसने यह दिखाने के लिए चुनौती दिया है कि वह अमान्य है। बी. आर.गवई, उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों ने पैराग्राफ 27 और 28 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> "27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान पर किसी भी आधार पर सवाल उठाया जा सकता है जिस पर पूर्ण विधान पर सवाल उठाया जाता है।इसके अलावा, इस आधार पर भी सवाल किया जा सकता है कि यह उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है।इन पर आगे इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह किसी अन्य क़ानून के विपरीत है। हालाँकि इस पर अनुचितता के आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इस तरह की अनुचितता उचित नहीं होने के अर्थ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस अर्थ में होनी चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है।
>
> 28. उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ विधान को मनमानेपन के आधार पर चुनौती देने के लिए, यह केवल तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह विधि के अनुरूप नहीं है या वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि यह उचित नहीं है या इसने प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मानता है।"

13. इसी प्रकार, **पी.जी.एफ. लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[6], उनके अधिपत्य उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के समक्ष जब भी विधि के किसी प्रावधान के अधिकार उठाए जाते हैं तो कुछ सावधानियों का पालन करने के लिए कुछ

5 (2022)6 SCC 65

6 (2015) 13 SCC 50

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं एवं पैराग्राफ 37 में बताया है कि न्यायालयों को किन बातो को ध्यान में रखना चाहिए हैः-

> "37. न्यायालय, पहली बार में, इस बात की जांच कर सकता है कि क्या रिट याचिका में उठाए गए प्रावधानों की शक्तियों की जांच करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मजबूत आधार बनाया गया है।न्यायालय यह भी नोट कर सकता है कि क्या इस तरह की चुनौती जल्द से जल्द दी जाती है जब क़ानून पेश किया गया था या कोई प्रावधान क़ानून पुस्तिका में लाया गया था या अधिनियम की तारीख एवं चुनौती दिए जाने की तारीख के बीच कोई लंबा समय-अंतराल मौजूद है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या अनुरोध किए गए तथ्यों के आधार पर चुनौती के आधार एवं प्रावधान के निहितार्थ का वास्तव में चुनौती के आधार के अलावा कोई संबंध है। उन प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत होना चाहिए कि जब प्रावधान इस तरह के क्रियान्वयन की रोकथाम के खिलाफ क्षेत्र का संचालन करता है तो इसमें सार्वजनिक हित की सीमा शामिल होती है। न्यायालय को राज्य की तुलना में प्रावधान के क्रियान्वयन के आधार पर वित्तीय प्रभावों की सीमा एवं कथित प्रावधान के आधार पर चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकारों के विशेष संदर्भ के साथ प्रावधान की अयोग्यता के सम्बन्ध में भले ही रिट न्यायालय का विचार है कि उठाई गई चुनौती पर विचार करने की आवश्यकता है, फिर भी विचार के लिए उठाई गई चुनौती पर विचार करते हुए इसकी फिर से जांच करनी होगी, क्या यह जनता के व्यापक हित में प्रावधान के क्रियान्वयन को रोकने की आवश्यकता है। न्यायालयदूसरे शब्दों में, रिट न्यायालय को किसी क़ानून या उसके समक्ष बनाए गए कानून के प्रावधान के अधिकार के आधार पर चुनौती पर विचार करते समय उपरोक्त आधारों पर विचार करने के लिए ऐसे अन्य आधारों की जांच करनी चाहिए, तथा उस पर विचार करने के साथ-साथ ऐसी रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कोई अंतरिम राहत दी जा सके। उपर्युक्त कारणों से यह भी आवश्यक है कि जब ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार किया जाए,तो उनका जल्द से जल्द एवं समयबद्ध आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि कानूनी स्थिति किसी न किसी तरह तय हो जाती हैं ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आगे बढ़ने से पहले, 2017 के नियमों के नियम 14 एवं 15 के तहत अधिनियमित अनुसूचित-4 के नीचे पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिनमें से क्र.सं. सं. 9 जो स्वास्थ्य अधिकारी के पदोन्नति पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए स्वच्छता निरीक्षक के पद पर 12 साल का अनुभव निर्धारित करता है, को मनमाना एवं असंवैधानिक मानकर चुनौती देने की मांग की गई हैः

अनुसूची-IV

[नियम 14 एवं 15 देखें]

क्रमांक	सेवा या पद का नाम जिसमे पदोन्नति की जानी है	अगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "क "	6 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "क क "	1. अध्यक्ष ,लोक सेवा आयोग इस उसके नाम निर्देशिती - अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव /सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - सदस्य आयुक्त /संचालक , नगरीय प्रशासन एवं विकासविभाग ,संचालनालय - सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजति का प्रतिनिधि	
2.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ख "एवं नगरपालिका परिषद् नगर पंचायतो के राजस्व अधिकारी	6 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "क क "		

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका (एस) क्रमांक-1480/2021

				- सदस्य	
3	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ग " एवं राजस्व निरीक्षक “कक/क/ख ”	6 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ख "		
4	कार्यालय अधीक्षक ,(10 वर्ष) राजस्व निरीक्षक श्रेणी "ग " राजस्व उप निरीक्षक,सहायक ग्रेड -दो मुख्य लिपिक , मुख्य लिपिक सह लेखापाल, लेखापाल ग्रेड -दो	कार्यालय अधीक्षक ,(10 वर्ष) राजस्व निरीक्षक श्रेणी "ग " (7 वर्ष) राजस्व उप निरीक्षक (9 वर्ष),सहायक ग्रेड -दो, मुख्य लिपिक , मुख्य लिपिक सह लेखापाल, लेखापाल ग्रेड-दो			
5.	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष	मुख्य अभियंता	मुख्य कार्यपालन	
6.	कार्यपालन अभियंता	5 वर्ष	अधीक्षण अभियंता		
7.	सहायक अभियंता	5 वर्ष	कार्यपालन अभियंता		
8.	उप अभियंता	10 वर्ष	सहायक अभियंता		
9.	स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष	स्वास्थ्य अधिकारी		

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (एस) क्रमांक-1480/2021

टीप -1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग “ग” पद पर पदोन्नति के लिए हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. लिपिक वर्गीय के पदों में वरिष्ठता का निर्धारण सहायक श्रेणी-II/ मुख्य लिपिक सह लेखापाल/लेखा पाल के आधार पर किया जाएगा, लेकिन यदि पूर्व में पदोन्नति सहायक श्रेणी-II से मुख्य लिपिक सह लेखापाल/लेखापाल/कार्यालय अधीक्षक में हुई हो, तो वरिष्ठता सहायक श्रेणी-II के आधार पर किया जायेगा।

3. यदि राजस्व उप-निरीक्षक से राजस्व निरीक्षक श्रेणी "ग" में पदोन्नति होने से वरिष्ठता राजस्व उप राजस्व निरीक्षक के आधार पर होगी, लेकिन यदि राजस्व निरीक्षक ग्रेड "कक"/"क"/"ख" में पदोन्नति होती है तो राजस्व उप-निरीक्षक को मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग "ग" में पदोन्नति के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

4. जहाँ कई पदों से पदोन्नति प्रस्तावित है, वहाँ उनकी संयुक्त वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. ऐसे लिपिक पद जिनका वेतन-बैंड 5200-20200+ ग्रेड पे या इससे अधिक है, उन्हें भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ग्रेड "ग" में भी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

15. उपरोक्त नियम के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि स्वच्छता निरीक्षक के पद से स्वास्थय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 12 साल की सेवा अवधि की आवश्यक है, जिसे मनमाना एवं अनुचित बताते हुए चुनौती दिया गया है।

16. अनुभव एक सामान्य रूप से आवश्यक पात्रता कारक है। अनुभव का अर्थ है तथ्यों या घटनाओं के व्यावहारिक परिचय से प्राप्त ज्ञान या कौशल ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'अनुभव' शब्द का निम्नलिखित अर्थ दिया गया हैः-

> “ किसी विशेष अध्ययन या कार्य में लगे रहने की स्थिति, विस्तार या अवधि; वास्तविक जीवन जो आदर्श या काल्पनिक के विपरीत हो। एक शब्द जो व्यक्तिगत ज्ञान, भावना एवं कार्य द्वारा प्राप्त कौशल, सुविधा या व्यावहारिक ज्ञान को दर्शाता है, एवं पाठ्यक्रम या प्रक्रिया भी जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञान या बुद्धिमता प्राप्त करता है।”

17. यह सुस्थापित है कि मूल क्षमता में अनुभव का अभाव केवल अनियमितता नहीं है; यह एक उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य के लिए पात्रता मानदंड है एवं उसका सख्ती

से पालन किया जाना चाहिए एवं किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है। [देखिएः **आर. एस. गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[7]]

18. **आर प्रभा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार**[8] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियो द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति के प्रश्न पर विचार करते समय एक निश्चित संख्या में वर्षो का सेवा में अनुभव एक बहुत ही प्रासंगिक कारक है।

19. इसी तरह, **बी. एन. सक्सेना बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति**[9] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य द्वारा यह मान्यता दी गई है कि काफी समय तक प्राप्त अनुभव अपने आप में एक योग्यता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जे. पी. चौरसिया एवं अन्य**[10] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुभव की आवश्यकता के औचित्य का संकेत देते हुए कहाः-

> " वह अनुभव से भी उतना ही सीखता है जितना कि अन्य तरीकों से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंबे अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता नए लोगों के काम से बेहतर है।"

21. यद्धपि, अनुभव की अवधि एवं प्रकृति स्वाभाविक रूप से हर मामले में भिन्न होती है। इस मामले में, स्वच्छता निरीक्षक के पद पर 12 साल का अनुभव निर्धारित किया गया है, जिसे हमारे विचार में, मनमाना एवं अनुचित नहीं कहा जा सकता है जिसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जाये

7 (2006) 6 SCC 430

8 (1988) 2 SCC 233

9 (1990)4 SCC 205

10 (1989) 1 SCC 121

22. यह भी सुस्थापित है कि किसी विशेष पद के लिए अनुभव के संदर्भ में निर्धारित योग्यता भर्ती नीति का मामला है एवं नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। **पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम जे. पी. चौरसिया एवं अन्य**[11], के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय के न्ययाधिपतियो ने पूर्व में **पी. एम. लता बनाम केरल राज्य**[12], **ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग**[13] एवं **पंजाब राज्य बनाम अनीता**[14] के मामले में दिये निर्णयों का अवलंब लेते हुए पैराग्राफ 29 में कहा कि -

> "29. इसके बाद, न्यायालय ने पी. एम. लता[12], ज्योति के. के.[13] एवं अनीता[14] में पिछले फैसलों पर चर्चा की, फिर निष्कर्ष निकाला कि डिप्लोमा धारकों की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज़ अहमद[15] एस.सी. सी. पृष्ठ क्रमांक 414-15, पैरा 26-27)
>
> > "26. हम उस व्याख्या के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं जो अनीता[14] में बाद के ज्योति के. के. के निर्णय में लिया गया है 13 में निर्णय पर रखी गई है। ज्योति के. के.[13] के निर्णय में लिया गया है ज्योति के.के.[13] ने नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को बदल दिया। इस तरह के नियम के बिना, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से एक अन्य के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है, हालांकि कम, योग्यता। किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की भूमिका या कार्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 (2021) 16 SCC 340

12 (2003) 3 SCC 541

13 (2010)15 SCC 596

14 (2015) 2 SCC 170

15 जहरूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज़ अहमद (2019) 2 SCC 404

नहीं होता है। इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके।किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य को, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करना है। ज्योति के. के.[13] के निर्णय ने एक विशिष्ट वैधानिक नियम को चालू कर दिया जिसके तहत उच्च योग्यता रखने वालो के लिए यह माना जाता है की उनके पास निम्न योग्यता है। वर्तमान मामले में इस तरह के नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है।मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ 16 ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलटने[16] एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अपीलार्थी निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे, उचित ठहराया। हम खंड पीठ के निर्णय[17] में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है जिनमें शामिल हैं -

नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सामग्री जो योग्यता के अधिग्रहण की ओर ले जाती है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है।प्रशासन की आवश्यकताएँ, यह एक साधारण कानून है, जो प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता होती है।ये सभी अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यही कारण है कि ज्योति के. के.[13] के

16 इम्तियाज़ अहमद बनाम जहरूर अहमद राथर एल.पी. ए (एस. डब्लू) क्रमांक 135 /2017

17 जहरूर अहमद राथर बनाम. जम्मू कश्मीर राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन जम्मू कश्मीर 936

निर्णय को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत एक उच्च योग्यता को धारण करना, जो कम योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है, इस पद के लिए पर्याप्त माना जाता था।यह विशिष्ट नियम के संदर्भ में था जो कि ज्योति के. के.[13] में निर्णय बदल गया।"

23. इस प्रकार, स्वास्थ्य अधिकारी के अगले उच्च पद के लिए स्वच्छता निरीक्षक के पद पर निर्धारित अनुभव को मनमाना नहीं माना जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी के पद के लिए योग्यता निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा **पुनीत शर्मा और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, कार्यक्षमता सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रखना नियोक्ता/राज्य का परमाधिकार है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क था कि स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए स्वच्छता निरीक्षक के पदोन्नति के अवसर सीमित हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिका/निगम में अब केवल 6 पद मौजूद हैं एवं इसलिए याचिकाकर्ता स्वच्छता निरीक्षक के पद पर स्थिर हो जाएंगे जो वे वर्तमान में धारण कर रहे हैं।

25. सेवा की शर्तों में पदोन्नति के अवसरों का प्रावधान होना चाहिए।पदोन्नति के अवसरों का अभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है। पदोन्नति सेवा की एक सामान्य घटना है। पदोन्नति का प्रावधान सेवा काल में दक्षता को बढ़ाता है जबकि ठहराव दक्षता को कम करता है एवं सेवा को अप्रभावी बनाता है। इस संबंध में, के न्यायाधीशों ने कॉउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल

रिसर्च बनाम के.जी.एस भट्ट और अन्य[18] में विशेष रूप से अवलोकन किया है जो निम्नानुसार है -

> " प्रायः ऐसा कहा जाता है और ऐसा लगता है कि एक शासकीय या निजी संगठन कुशलतापूर्वक एक हाथ नहीं रखता है, बल्कि एक पूरे व्यक्ति को नियुक्त करता है। व्यक्ति को एक संगठन द्वारा न केवल नौकरी के लिए, बल्कि पूरे करियर के लिए भर्ती किया जाता है।इसलिए, किसी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।यह मुक्त उद्यम प्रणाली की सबसे पुरानी एवं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।किसी भी संगठन की प्रगति के लिए उन्नति का अवसर एक आवश्यकता है। यह कार्मिक विकास के लिए भी एक प्रोत्साहन है।"

(देखिएः कार्मिक प्रबंधन के सिद्धांत फ़िलपो एडविन बी.चौथा संस्करण पृष्ठ क्रमांक-246) प्रत्येक प्रबंधन को होनहार कर्मचारियों को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए यथार्थवादी अवसर प्रदान करना चाहिए।"जो संगठन पदोन्नति के लिए एक संतोषजनक प्रक्रिया विकसित करने में विफल रहता है, वह दोनों प्रबंधकीय कर्मचारियों एवं उनके पर्यवेक्षकों के बीच प्रशासनिक लागत, कर्मियों के गलत आवंटन, कम मनोबल एवं अप्रभावी प्रदर्शन के मामले में गंभीर जुर्माना देने के लिए बाध्य है।

(देखिएः कार्मिक प्रबंधन द्वारा डॉ. उदय पारीक पृष्ठ क्रमांक 277)

ऐसा कोई भी आधुनिक प्रबंधन नहीं हो सकता है जो किसी भी कैरियर योजना, मानव-शक्ति विकास, प्रबंधन विकास आदि से कम हो जो पदोन्नति की प्रणाली से संबंधित न हो।"

26. कॉउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को **फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और अन्य बनाम परषोतम दास बंसल और अन्य**[19] के मामले में अनुमोदन के साथ अनुसरण किया गया है -

27. यद्यपि, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पदोन्नति के अवसर प्रदान करने वाली नीति में हस्तक्षेप करने एवं यह निर्देश देने वाली नहीं है कि प्राधिकरण को अपने विभिन्न

18 (1989) 4 SCC 635

19 (2008)5 SCC 100

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कर्मचारियों के लिए क्या अवसर प्रदान करने चाहिए,यद्यपि मनमानी के परिणामस्वरूप भेदभाव होने पर न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।। **[देखिएः भारत संघ एवं अन्य बनाम सैयद मोहम्मद रज़ा काज़मी एवं अन्य[20]]**

28. नीति के मामले में, न्यायालयों द्वारा सरकार को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशेष तरीके से पदोन्नति योजना बनाने या इस सम्बन्ध में नये नियम बनाने का निर्देश नहीं देना चाहिएतथा सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति प्रणाली में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[देखिएः तमिलनाडु सरकार एवं एक अन्य बनाम एस अरुमुघम एवं अन्य[21]]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. मामले के तथ्यों की ओर लौटते हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियो द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के लिए पदोन्नति के रास्ते उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनके अपने कथानुसार, राज्य में वर्तमान में स्वास्थ्य अधिकारी के 6 पद उक्त पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए उपलब्ध हैं। अन्यथा भी, स्वास्थ्य अधिकारी के केवल 6 पदोन्नति पदों की उपलब्धता के कारण याचिकाकर्ताओं की कठिनाई, यदि कोई हो, याचिकाकर्ताओं के लिए कठिनाई का कारण बन सकती है, लेकिन यह क़ानून को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है।(देखिएः आयुक्त कृषि आयकर आयुक्त,पश्चिम बंगाल बनाम केशव चंद्र मंडल[22],

20 1992 Supp (2) SCC 534

21 (1998) 2 SCC 198

22 AIR 1950 SC 265

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[23],एवं डी.डी.जोशी (कर्नल) एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[24])

30. इसके अलावा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए नए नियम बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना के सम्बन्ध में निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि केवल समुचित सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है एवं न्यायालय विशेष रूप से मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए नियम बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।

31. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए,हम स्वच्छता निरीक्षक से स्वास्थय अधिकारी के पद पर पदोन्नति की शर्त जैसा कि 2017 के नियमों की अनुसूची **IV** की संख्या-9 में निहित है,को अधिकार से बाहर एवं असंवैधानिक बताये जाने हेतु वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं पाते है

32. रिट याचिका सारहीन है एवं तदनुसार खारिज की जाती है, पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
(संजय के. अग्रवाल)	**(संजय कुमार जायसवाल)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

23 AIR 1955 SC 661

24 (1983) 2 SCC 235

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur